श्री मान सिह वर्मा : श्रीमन्, विगत सप्ताह भी इसी प्रकार का एक प्रश्न आया था और माननीय मंत्री जी ने यही उत्तर दिया था कि हमको इस बात पर चिन्ता है और यहां पर चमड़े की बड़ी भारी कमी हो गई है । सम्भवतः माननीय मंत्री जी यह समझते होंगे कि चमड़े की कमी के कारण आगरा, कानपुर, और बंगाल, जहां जहां भी चमड़े का काम होता है, वहां पर लाखों लाखों की संख्या में लोग बैरोजगार हो गये हैं । जैसा आपने कहा कि हाइड एण्ड स्किन पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन आपको मालूम होगा कि कच्चा चमड़ा, सेमी प्रोसेस के बहाने से रा-मटिरियल बाहर जा रहा है । आज कच्चे चमड़े के ऊपर इस तरह का मसाला लगा दिया जाता है कि वह सेमी प्रोसेस के नाम पर बाहर भेजा जा सके और इस तरह से कच्चा चमड़ा हमारे देश से बाहर भेजा जा रहा है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारे देश में जो वीकर सैक्शन हैं, जो इस पर अपनी रोजी निर्भर करता है, वह बेरोजगार हो रहा है । आप यह जो कच्चा और पक्का चमड़ा है, उसका बाहर जाना बन्द कर दें ताकि देश की जरूरत पूरी हो सके और जो लोग बेरोजगार हो गये हैं, वे काम पर लग सकें ।

SHRI A. C. GEORGE : I think there is a slight confusion in the question of the hon. Member. Even now the export of raw hides and skins is banned. It is only the semi-finished leather about which there is some relaxation. If there are any instances where under the guise of semifinished leather they are exporting raw hides and skins and if they are brought to out notice, we will definitely take action against them.

MR. CHAIRMAN : Next question.

NOCTURNAL VISIT TO DELHI UNIVERSITY'S NEW WOMEN HOSTEL

*3. SHRI BHUPESH GUPTA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state : (a) whether his attention has been drawn to a report appearing in the Times of India of March 11, 1973 regarding the "nocturnal yisit" by "some miscreants in a white car to Delhi University's new women hostel" and the teasing of some girls;

(b) whether his attention has also been drawn to the report that owner of the car is a Congress Leader from a neighbouring State, having many business enterpris es;

(c) if so, will the Minister please furnish the relevant particulars including the name of the owner of the car; and

(d) what action, if any Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K.C.PANT) : (a) and (b) Attention of the Government has been drawn to this report.

(c) and (d) Some inmates of the Post-Graduate Hostel for Women, Delhi University, alleged in a written complaint dated 19th February 1973, addressed to the Chairman of the Managing Committee of the Hostel that there was an incident of intimidation of a girl of the Hostel and her escort by the occupants of a white Ambassador car, No. USS-5113 at about 10-15 p.m. on 17th February 1973. It was also alleged in the complaint that three persons again came in a white Ambassador car to the gate of the Hostel on 18 th February 1973, at about 12-30 a.m. and blew the horn. The complainants presumed that this was again car No. USS-5113. On being accosted by the chowkidar of the Hostel, one of the occupants is alleged to have fired from an air-gun a pellet hitting the Chowkidar. Thereafter the occupants fled in the car. The registered owners of car No. USS-5113 are M/s Narang Brothers and Company Ltd. A case has been regis-

tered under section 324 of the Indian Penal Code and is under investigation. It has been decided to entrust the investigations to the crime branch of the Delhi Police which will act under the guidance of the Central Bureau of Investigation. The security arrangements near the women's hostels in the university area have been strengthened.

SHRI BHUPESH GUPTA : I should like to know whether this car belonged to or had been in the use of Mr. Kuldip Narang, who is supposed to be connected with big responsibilities in building up cadres under the A.I.C.C. and also a businessman. Also, I should like to know whether in this connection it has been brought to the notice of the Government that Shri K.L. Dawan, cloth merchant and President of the Mandal Congress of Timar-pur, Shri Daljit Ahluwalia, an employee of Narang Brothers—they were described and registered as criminals in the relevant police station—Shri Ramsarup Janbaz, ex-cash clerk of the Delhi Milk supply, now calls himself a trade union leader, and Shri Jain, an employee of the Narangs, had been in constant use of this car. I should also like to know in this connection whether actually a complaint was made to the police by the girl—I know the name of the girl now—and whether it is not a fact that the girl told the police that these men, when they approached her, said that they were coming from the police and they were policemen, but the police officer, the investigating officer, who went there, refused to record it by saying: "It is immaterial what they told you and whether they were policemen or not." I should like to know why that was not recorded and what is the mystery behind the delay in searching the house, seizing the car and arresting all those people who had been named by the girl first to the managing committee and also to the police.

SHRI K. C. PANT : Sir, as I explained in my main statement, the case is under investigation.

SHRI BHUPESH GUPTA : On a point of order. I have not asked about it.

SHRI K. C. PANT : I will answer you.

MR. CHAIRMAN: You will get an answer.

SHRI K. C. PANT : Sir, I took into account what he stated in the House the other day and therefore the Government has decided, as I said, to entrust investigations to the crime branch of the Delhi Police who will act under the guidance of the C.B.I. Now, I would have thought that before going into details, it would be better to await the result of the enquiry. But since specific questions have been put to me, by my hon. friend, I will try my best to give him the information which I have.

The first point is whether this car was used by Shri Narang. I have already said that the white Ambassador car with a certain No. USS-5113. On enquiries being made, we found that the registered owner of car number was so and so— Messers. Narang Brothers and Company Limited. Now about the problem as to which car was involved,. nobody is clear as to the car from which the pellet was fired or whether that car was this car or not. Nobody picked the number. The chowkidar said about it at one stage, later on he retracted his statement. These are details of investigation. But since this is not clearly established, so, at this stage, one cannot say definitely which car it was. Also, that is the problem in seizing the car.

Now, Tie said that some people had been using that car. Again, the difficulty is, which car he means, and once that is established—I am glad that he has mentioned some names, I will pass them on to the right authorities—they can look into that aspect of the matter also.

Finally, he said that the girl had told the police that she and her escort reached the hostel and she was trying to enter the hostel, that then three persons came and they said that they were policemen. She has said that in her statement.

SHRI BHUPESH GUPTA : Was her statement recorded ?

SHRI K. C. PANT : Whether her statement was recorded or not, I can check ; up and let you know just now. Yes, Sir.

She has said in her statement—"I decided to get through the gap in the wall near the back gate. Suddenly, a white Ambassador car came. There were three men; two of them came nearer and started shouting at us and asking a lot of questions." She has said that.

SHRI BHUPESH GUPTA : After the the reply, it is quite clear that a cognizable offence was committed including as much impersonation by these people as policemen. Why, in that case, the Government or the local police authorities took time to go to his house and search it and ask him questions in pursuance of the investigations? Why was there delay? Before that, according to the newspaper reports, the girl appeared there and demanded action by the police; only then did the police move in this matter when she brought it to their notice. Do I take it that the police was so paralysed because it was Mr. Kuldip Narang who is having very influential connections with high-ups in the Government and apart from that, he is connected with the building-up of the A.I.C.C. cadre? What kind of cadre he is building up in India. Why there was delay? Why is it that up to today nobody has been arrested when the car number was given, names had been given? When the girls had gone there, Mr. Narang's wife came out and told them that her husband, Mr. Narang , was not there. Why is the police not active in this matter? Why are they not being arrested and taken into custody? Investigation does not mean that in the first instance arrest cannot take place. Investigation can follow arrest.

SHRI K. C. PANT : Sir, again my problem is that I do not want to say anything that will prejudice the investigation.

SHRI BHUPESH GUPTA : On a point of order. 1 beg your protection. I do not want a judicial trial to be prejudiced. Surely in the matter of investigation we can say that investigation is colourable. It is not investigation. It is a farce of an investigation. When you got information you did not even go to seize the car, leave alone the offender.

SHRI K. C. PANT : I was saying that in order not to say anything which would run counter to whatever be thinks that he wants me to say, well, I would say reluctantly.

SOME HON'BLE MEMBERS : No, no.

SHRI K. C. PANT : Talking about the reasons for delay, I leave it to the House to judge whether there was delay or not. The complaint was filed by two of these young ladies. It was signed by them. It was addressed to the Chairman, Managing Committee, University Hostel for Women, Delhi University. It was endorsed on the 20th February by the Provost. Then it was presumably sent to the Dean, Shri A. S. Kukla. He forwarded a typed copy of this letter to the D.I.G. with a D.O. letter dated 23-2-73. This reached the D.I.G. on the 24th who forwarded it to the S.P. 25th February was Sunday. On the 26th February itself it was forwarded to the S.H.O. which was received by him on the 27th.

Sir, in this letter there is no complaint against the police. What Mr. Kukla has said is that arrangement should be made for the security of the girls. That is all. Based on that letter the police took a statement from the chowkidar, Kishan Singh. And once it had taken the statement, on the basis of this statement an F.I.R. dated 28-2-1973 under Sec. 324 1. P. C. was lodged.

Sir, the letter which was forwarded by Mr. Kukla was not signed : it was unsigned. These are all the facts. I do not think there was undue delay in filing this case. Actually they could not take action on that unsigned letter. They took the statement of the chowkidar and on that basis at the earliest he registered the case . . . (Interruption)

MR. CHAIRMAN : Let him finish. You can put supplementaries. But that is not the way.

SHRI K. C. PANT : I would once again refute strongly the suggestion that the case has not been proceeded with because of any connections with anybody etc. This

is all wrong. I have already said that we have referred this case to the Crime branch; the C.B.I, will guide them. There is no question of concealing anything. Now I am asked why there was delay in impounding the car? Why I did not take action? I have already explained this. I do not want to go into details. But since the hon' ble Members wants that specific information I will explain it in some detail.

AN HON'BLE MEMBER : I do not think you should do that.

SHRI K. C. PANT : It is up to Shri Bhupesh Gupta. In the original complaint of the girls dated 19-2-73 a definite identification of the car was not given. It was said that presumably it was the same car which came to the hostel earlier. It was only on the 28th February that a definite statement was available to the police that the vehicle no. was USS-5113. However, subsequently the chowkidar retracted the statement that he did not know the number of the car and that the number of the car was told to him by the girls. He said that this was being extracted from him. I must put it on record unwillingly. Sir, Shri Kuldip Rai Narang has stated to the police that a vehicle No. DLK-6393 has been using the number plate USS-5113, and also that the vehicle USS-5113 was in the garage on the evening of 17th February, which has been supported by Shri Krishan Dev Singh, Secretary of the firm and Shri Surrinder Mishra, Chowkidar of the firm. Under these circumstances, any action against this car would be premature till more definite information is available of the involvement of the car in the incident.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: Sir, two or three things are very clear. Apart from what the police took from the Chowkidar, the concerned girls of the hostel have made it clear that these miscreants came in car No. USS-5113. They are the real victims of the whole thing and their statement is not yet taken by the police.

MR. CHAIRMAN Kindly put your question.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : Yes, Sir. May I know from the Government what is it that prevents the police from arresting Mr. Narang who owns this car, which car and its occupants had gone and harassed the girls there? Secondly, may I know from the Government whether there have been serious allegations by the hostel authorities and the girls that the police is trying to obfuscate the case and the facts, and that there are efforts being made to cloud the issues involved?

SHRI K. C. PANT : Sir, when he talks about the girls in question, I would like to tell him that there were four reports by different persons, the Chowkidar or the Girls: the first about a car coming at 10-15, then again about a car at midnight, then after midnight at 12-30 and then at about 3. On the first occasion, it was a girl with her escort. On the second occasion, it was two other girls who came. And they had all come back from the Red Fort; that is their statement. My hoh. friend has asked why the police has not taken statements from them. The police has taken statements from all the girls. In fact, there are some slight discrepancies about the timing, etc. in these statements. I do not want to go into them because investigations are going on. So, it is not as though the whole thing has not been gone into thoroughly. It is being gone into thoroughly and I have already indicated the steps that the Government has taken. Then he asks why that particular person has not been arrested. How can he be arrested at this stage of the proceedings? I have already explained about the car. That itself is not established. I am sure he would be as much interested as I am to see that a wrongful arrest is not made and that an arrest is made only when everyone is satisfied that this is the right thing to do, and there is sufficient evidence.

SHRI BHUPESH GUPTA : They are very much concerned when he is a multimillionaire. But workers, trade unionists and peasants are arrested at random.

SHRI K. C. PANT : If a trade unionist is wrongly arrested, I am even more sorry.

SHRI BHUPESH GUPTA : You should tell the police.

SHRI K. C. PANT : I am telling the police.

SHRI BHUPESH GUPTA : He is a multi-millionaire, therefore, there is another set of laws for him.

SHRI K. C. PANT : Even a multi-millionaire has a right to justice.

DR. K. MATHEW KURIAN : He is the Congress candidate from U.P.

SHRIMATI SUMITRAG KULKARNI : 1 would like to know how it is that the Choivkidar p;rmitted tha car inside the hostel after midnight. After all, a Chowkidar is kept to see that no strange cars are permitted inside the precincts. What action is being taken against the Chowki-dai for this default in his duty?

SHRI K. C. PANT : As far as my understanding of what happened goes, the car had not entered the precincts of the hostel. Therefore, there is no question of any preceding against him.

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 15 तारीख को 50 छात्राओं ने जो कि मिरंडा कालेज और यूनिवर्सिटी गर्ल्स होस्टल की थीं उन्होंने नारंग के घर के सामने प्रदर्शन किया है या नहीं ! और उस प्रदर्शन के सिलसिले में उन लोगों ने क्या यह नहीं कहा है कि पुलिस इस मुकदमे को खत्म करना चाहती है । और क्या यह बात सही नहीं है कि नारंग एक बहुत बड़ा व्यापारी है जिसका घनिष्ट-तम सम्बन्ध प्रधान मंत्री और उनके परिवार से है, उनके परिवार के लोग उसकी मोटर पर चढ़ कर इधर उधर टहल-वहल करते हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि यहां का आल इंडिया कांग्रेस आफिस जो है उसका खर्चा नारंग चलाता है। क्या यह बात सही है या नहीं है ।

SHRI OM MEHTA: NO, no, Sir.

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : क्या यह बात सही नहीं है कि मारुति कम्पनी का वह एक डाइरेक्टर है !

श्री सभापति : अब आप बहुत विस्तार से न कहिये, आप सारी हिस्ट्री न कहिये कि उनका क्या है क्या नहीं ।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : हम आपकी प्रोटेक्शन चाहते हैं । मैटर बहुत सीरियस है। एक तो यह औरत की इज्जत की बात है खास करके स्टूडेन्ट्स की, जो कि होस्टल में रहती हैं अपनी मां-बाप से अलग ।

श्री सभापति : हम समझते हैं, तभी तो आप सब को पूछने की इजाजत दे रहे हैं ।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल : तो पुलिस क्यों नेगलेक्ट कर रही है उसका कारण हम बतलाते हैं । चूंकि वह कांग्रेस फंड में देता है, जो यहां का सेंट्रल आफिस है उसका खर्चा चलाता है, वह राज्य सभा का मेम्बर होने वाला है मोहन के बदले में, और मारुति कम्पनी का डाइरेक्टर है, प्रधान मंत्री के घर के लोग उसकी मोटर पर चढ़ कर घूमा करते हैं । क्या यह बात सही है या नहीं ।

श्री के० सी पन्त : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की सारी बातें गलत हैं एक को छोड़ कर के और वह है कि 15 मार्च को लड़कियों ने प्रदर्शन किया और वह जो प्रदर्शन किया उसमें कुछ नारे---जो आपने बताया---कुछ नारे लड़कियों ने लगाये, कुछ तो मेरे पास हैं, एक तो उसमें यह है : नारंग हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय । इसमें कांग्रेस कैसी आ गई और इसमें एक राजनैतिक ढंग का स्लोगन कैसे आ गया, मेरी समझ में नहीं आता ।

अब, यह पुलिस इनवेस्टीगेट कर रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा क्राइम ब्रांच देखेगा, सी० बी० आई० का है, और इसमें माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं । यहीं तो चाहेंगे । यह सब हो रहा है । और

इसमें इस तरह की बात कहना, जबरदस्ती कोशिश करना कि प्राइम मिनिस्टर का नारा हर चीज में इस तरह से घसीटा जाय या ए० आई० सी० सी० के खर्चे की बात कही जाय, ठीक नहीं। मारुति कम्पनी के कौन-कौन डाइरेक्टर हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यह साहब नहीं हैं, यह बड़ी आसानी से आप खुद भी तहकीकात कर सकते हैं। और इस तरह यहां हाउस में कहना मैं समझता हूं कि यह गैर-जिम्मेदारी है।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल: हम कहते हैं कि जो कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है वह भी मोटीवेटेड कहा गया है। चूंकि शील्ड करना चाहते हैं।

MR. CHAIRMAN : Mr. Mandal, please sit down.

श्री नवल किशोर: श्रीमन्, यह वाकया 19 फरवरी का है और आज 20 मार्च है, एक महीने का टाइम बीत गया और मुझे इस बात का जरा ताज्जुब है कि पन्त जी की निगाह में एक महीने का टाइम कुछ ज्यादा टाइम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मंडल जी ने जिस डिमांस्ट्रेशन की बात कही उसमें क्या लड़कियों ने खुद इस बात पर जोर दिया कि मिस्टर नारंग बाहर निकल कर आयें। वह थे या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जो लेडी थी मिसेज नारंग उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जो कलप्रिट हैं they would be brought to book. यह मैं जानना चाहता हूं। तो इससे यह साफ होता है कि कुछ जानकारी उनकी फेमिली को उन अफेंडर्स, उन कलप्रिट्स के बारे में है। तो मैं पन्त जी से जानना चाहता हूं कि यह तो स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बारे में उन्होंने क्या कदम उठाया?

दूसरी बात श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस महीने में या इस एक महीने के अंदर मिस्टर नारंग का कोई इंटीग्रेशन हुआ या नहीं हुआ, उनसे कोई सवाल-जवाब हुआ या नहीं हुआ? अगर आप मिस्टर नारंग को गिरफ्तार न भी करते तो लड़कियों ने जब यह कहा था कि उनके साथ 3 और आक्कुपेन्ट्स भी थे। क्या उन तीनों में से कोई गिरफ्तारी हुई? और आखिरी सवाल यह है कि आपने जो क्रिमिनल ब्रान्च में इन्क्वायरी के लिए मामला किया है, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, तो वह किस डेट को दिया है?

श्री के० सी० पन्त: अध्यक्ष जी, जो एक महीने का टाइम लगने की बात है, उस पर तो मैंने कहा कि कब का इन्सिडेन्ट है, कब इन्सिडेन्ट रिपोर्ट हुआ, किस तरह से हुआ, कब केस फाइल हुआ, सारी चीजें बताई थीं। कार के सम्बन्ध में जो अड़चनें पुलिस के सामने आई, वे मैंने सदन के सामने रखीं और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसी लिए देर लगी है कि वे अड़चनें सामने आईं। अब आपने कहा कि अरेस्ट क्यों नहीं हुए, दो-तीन आदमी उसमें थे...

श्री महावीर त्यागी: नारंग का स्टेटमेंट ले लिया गया है।

श्री के० सी० पन्त: सब बताऊंगा। पहले यही बता देता हूं कि नारंग साहब को बाकायदा राइटिंग में सवालात किए गए, नोटिस दिया गया और उन्होंने उसका जवाब दिया है...

श्री भूपेश गुप्त: राइटिंग में क्यों दिया? Was it given by the Investigating Officer?

श्री महावीर त्यागी: रिटन एक्सप्लेनेशन मांगा गया।

श्री के० सी० पन्त : उनको नोटिस सर्व किया गया, उसमें उनका जवाब आया। अब रहा यह कि अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, 3 आदमी उसमें थे। लड़कियों ने, जो वहां पर थीं, उन्होंने 2 का जनरल डेस्क्रिप्शन कुछ दिया। और भी इन्वेस्टिगेशन की डीटेल्स ली हैं। लेकिन जेनरल डेस्क्रिप्सन जो था, पुलिस ने इतना पता लगाया है और बताया है कि नारंग की फैमिली के लोगों से वह नहीं मिलता। इस वक्त तक डायरेक्ट सस्पिशन तो यही था कि उनकी फैमिली के मेम्बर होंगे। तो यह अब तक के इन्वेस्टिगेशन ने बताया है, लेकिन वह इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, वह खत्म नहीं हुआ है। जहां तक यह है कि लड़कियों ने प्रदर्शन किया, तो मिसेज नारंग ने कहा कि जो दोषी हैं वे पकड़े जायेंगे। तो यह ठीक ही कहा, कोई गलत नहीं कहा। लेकिन मैं उनकी जवाबदेही नहीं दे सकता, मैं पुलिस की जवाबदेही दे सकता हूं। जो कल्प्रिट्स हैं उनको पुलिस जरूर पकड़ने की कोशिश करेगी। अब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने जो कहा है, उस पर इन्क्वायरी का फैसला हमने आज दिया है।

श्री यशपाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को एक राजनैतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें मैं समझता हूं कि जुर्म हो या कुछ भी हो, जुर्म करने वाले को अवश्य पकड़ना चाहिए। विरोधी दलों के हमारे मित्रों को मालूम होगा कि नारंग परिवार पंजाब का एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, चाहे उनके राजनैतिक विचार हमारे विचारों के विरोध में रहे हों। सर गोकुल चंद नारंग हिन्दू महासभा के नेता थे, कुलदीप नारंग के पिता आज भी जनसंघ के समर्थक हैं. . . .

श्री सभापति : आप प्रश्न कीजिए।

श्री यशपाल कपूर : मेरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि यह परिवार पाकिस्तान बनने के बाद से उसी युनिवर्सिटी एरिया में अब तक रह रहा है और इन 25-26 वर्षों में क्या कोई भी प्रकार की शिकायत उस परिवार के किसी सदस्य के बारे में कभी आई है, जब कि वहां छात्र, लड़कियां और लड़के मौजूद रहे हैं? दूसरे यह जो समाचारपत्रों की बात कही गई, तो क्या यह सही है कि एक लड़की का भाई जो नारंग की किसी कम्पनी में काम करता था, वह किसी वजह से निकाल दिया गया था और एक दूसरी लड़की जिसने वहां कम्पनी में नौकरी के लिए अर्जी दी थी, वह सलेक्ट नहीं हुई, और ये सब मिला कर यह बवण्डर खड़ा किया गया?

SHRI BHUPESH GUPTA : Will Narang be given a Padma Bhushan? We have heard about his great services. He should be given a Pamda Bhushan, not investigation.

श्री के० सी० पन्त : अध्यक्ष जी, पहली शिकायत की जानकारी मेरे पास कोई नहीं है और यह दूसरी बात भी जो उन्होंने बतायी है, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मुझे बड़ा अफसोस है कि इतनी गम्भीर बात को इस तरह से लिया जा रहा है और मुझे तो यह दिखलाई दे रहा है कि पुलिस और शासन की तरफ से पहले से ही डिफेंस की तैयारी कर ली गई है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यही तरीका रहा, तो वैसे ही जनतंत्र में लोगों का विश्वास कम हो गया है और इस तरह की घटनाओं से और भी कम हो जाएगा।

श्री सभापति : आप सवाल कीजिए।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मैं सवाल कर रहा हूं और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर सरकार द्वारा सजावारों को सजा नहीं दी जायेगी तो जनता द्वारा दी जाएगी। क्या आप इस चीज को पसन्द करेंगे या फिर इसकी जगह एक्शन लेना पसन्द करेंगे? आपने यह नहीं बताया किस तारीख को एफ० आर० आई० दर्ज किया गया। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने एक्शन कब लिया, कम से कम यह बात तो बतलाइए? अगर आपने इस तरह के गम्भीर मामलों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फिर इस देश से जनतंत्र समाप्त होने वाला है और फिर पुलिस के ऊपर किसी का भी विश्वास नहीं रह जाएगा।

श्री के० सी० पन्त : अध्यक्ष जी, मैंने तो ब्यौरेवार बतला दिया है कि कब एफ० आर०आई० दर्ज हुई।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : आप डेट बतलाइए।

श्री के० सी० पन्त : डेट तो बतला दी है और फिर मैं बतला देता हूं कि एफ०आर० आई० 28 तारीख को दर्ज हुई। मैंने ब्यौरेवार बतलाया कि किस तारीख को लड़कियों ने लिखा, किस तारीख को प्रोवोस्ट के पास गया, वहां से डीन के पास गया और फिर वहां से उन्होंने डी०आई०जी० को लिखा। ये जो सारी बातें हुई वे 28 फरवरी से पहिले की बातें हैं।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि 28 फरवरी और 15 मार्च तक के बीच तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री के० सी० पन्त : मैंने आपको बतला दिया है कि इस बारे में क्या-क्या इन्वेस्टीगेशन हुए। मैंने आपको कार की बात बतलाई जो कुछ उन्होंने बयान दिये, उनकी बात बतलाई और इस तरह से सारी चीजें सदन के सामने रख दीं और कोई चीज भी छिपा कर नहीं रखी।

श्रीमती सीता देवी : मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहती हूं और मैं तमाम विरोधी पार्टियों से भी कहूंगी कि जब लड़कियों का इस प्रकार का मामला हो, तो यह चीज बड़े खेदजनक है कि चाहे कोई भी कारण क्यों न हो, विरोधी पार्टियों को इस चीज में सियासी रंग नहीं देना चाहिए। अगर इस चीज में सियासत का रंग दिया गया तो फिर इस बारे में सही इन्क्वारी नहीं हो सकती है। मैं मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहती हूं कि आये दिन एक के बाद दूसरी जो इस किस्म की घटनाएं होती हैं, उससे स्त्री जाति और लड़कियां अपने आप को असुरक्षित अनुभव करती हैं। इसलिए मिनिस्टर साहब को यह चाहिए कि कोई इस किस्म का स्ट्रांग एक्शन लें, पुलिस और गुण्डों के ऊपर ताकि फिर इस तरह के वाकयात न हों और स्त्री जाति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करे। मैं विरोधी पार्टियों से फिर अपील करूंगी कि अगर वे सियासत का रंग इस मामले में देंगे तो फिर कोई इन्क्वायरी नहीं हो सकेगी और न ही कोई चीज होने वाली है।

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please sit down... Please sit down.. .

SHRI N. K. SHEJWALKAR : We oppose these things, Sir. This is very bad.

श्रीमती सीता देवी : यह बहिनों की बात है और आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यह खेदजनक बात है।

(Interruptions)

श्री मान सिंह वर्मा : लड़कियों की बेइज्जती हो रही है और आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप विरोधी दल से कहती हैं (*Interruptions*) उनकी बेइज्जती हो रही है और आप खुश हैं। (*Interruptions*) औरत होकर आप को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।

(*Interruptions*)

श्री के० सी० पन्त : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने वह सवाल पूछा, जिसके पूछने की आवश्यकता सबसे पहले थी कि गवर्नमेंट वहां पर सिक्योरिटी को सट्रैन्थन करने के लिए वहां पर क्या एक्शन लिया है? इस तरह का प्रश्न किसी ने भी नहीं पूछा। लेकिन मैं उनका बड़ा आभारी हूं; क्योंकि मैं शायद यह बात न कह पाता जो कि एक परटिनेन्ट सवाल है। अब जहां तक सवाल सियासत की बात का है, इस बारे में कोशिश की जाती है और मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ी बहुत कोशिश हुई है कि सदन में इस चीज को सियासत का रंग दिया जाय। मैं सब माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस चीज में सियासत का रंग दें या न दें, लेकिन पुलिस अपना काम ढंग से करेगी, सही ढंग से करेगी और निष्पक्ष ढंग से करेगी।

(*Interruptions*)

जहां तक सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रैन्थन करने का सवाल है, वैसे दो यूनिफार्म पुलिसमैन वहां पर रखे गए हैं, मिरण्डा हाउस और वूमैन्स होस्टल के आस-पास। वे लोग दिन भर वहां पर रहते हैं और वहां पर पुलिस का पैट्रोलिंग भी है और इधर 10 तारीख के बाद मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है।

SHRI N. G. GORAY : It will be very unfortunate if an impression goes out that this House was divided on such a serious issue. I would first of all like to say that .this is not only a single case. But in Delhi, an atmosphere of insecurity, so far as the honour of women is concerned, is gaining giound. Only a few days back we heard about a case in which two nurses were involved. I am, therefore, trying to understand from the Home Minister whether he will appreciate the sense of anxiety in this House, irrespective of party affiliations, that so far as women are concerned, their honcmr will have to be protected—irrespective of political affiliations.

SHRI K. C. PANT : Sir, the question hardly needs to be asked. It is self-evident. 1 entirely endoise what my lion, friend has said. He said that unfortunately an impression should not go out that the House is divided 1 agree with him. But when it is sought to be insinuated that action is not being taken because a certain person is associated with Congress Party, I am afraid, an element is imported into the discussion which cannot but divide the House. I would much rather that such elements are not imported in such discussion, and the matter should be seen in a dispassionate way.

DR. Z. A. AHMAD : What I said is that the man is a moneyed man and he can corrupt the police...

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : We have heard you, Dr. Ahmad.

SHRI K. C. PANT : I have great respect for Dr. Ahmad. But he may refresh his memory and see what Shri Bhupesh Gupta has said ...

SHRI BHUPESH GUPTA : What have 1 said? I said that money.... {Interruptions)

MR. CHAIRMAN : All right, Mr. Bhupesh Gupta. Sit Down ...

SHRI BHUPESH GUPTA : Why should it be misrepresented? I do say that such people should not come to A.I.C.C.

श्री त्रिलोकी सिंह : मान्यवर, मालूम यह होता है कि यह मामला दफा 324 ताजीरात हिंद दर्ज किया गया है। जनाब को कम से कम यह मालूम होगा कि यह

कागनीजैबिल आफेन्स है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कागनीजैबिल आफेन्स की धारा लगाई गई है तो पुलिस ने तफशीस का इन्तजार किये बेगैर गिरफ्तारी क्यों नहीं की, क्योंकि जमानत दे सकते थे? दूसरी बात, धारा 324 शार्ट वैपन से इन्जरी की है। मंत्री महोदय ने बयान किया कि बन्दूक से चोट लगी। मैं जानना चाहता हूँ कि धारा 324 के क्या अलफाज हैं और बन्दूक से चोट के लगने पर यह दफा क्यों लगाई गई? तीसरी बात, यह तस्लीम किया है कि एक साहब ने जो इस मामले में मुबतिला हैं कि मोटर की प्लेट बदली गई, यानी एक मोटर की प्लेट दूसरी मोटर पर लगाई गई, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर दूसरा था। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने इस सिलसिले में क्यों नहीं मुकदमा कायम करके कार्यवाही की? चौथी बात...

श्री सभापति : यह ऐसी बात है कि जिस पर आधा-आधा घंटा एक आदमी बोल सकता है।

श्री त्रिलोकी सिंह : मैं बोल कहां रहा हूं, पूछ रहा हूं। अगर आपकी इजाजत नहीं है तो मैं बैठ जाऊं।

श्री सभापति : पूछिए आप।

श्री त्रिलोकी सिंह : चौथी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास इस प्रकार की इत्तिला है कि यह जो हजरत है, जिनका नाम लिया गया है इस मामले में, ये जो महापुरुष हैं, ये किस किस्म के कांग्रेसी हैं, ये पुराने हैं या ये नए हैं, जिनकी भर्ती अभी हाल में की गई है और आज जिनकी बहुत [ज्यादा इज्जत और जरूरत है?

श्री के० सी० पंत : अध्यक्ष जी, पहला सवाल आपने यह किया कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की जब कि कागनिजेबिल आफेंस है। लेकिन गिरफ्तारी करने के लिए कोई शख्स होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट एविडेंस हो। अगर यह फिक्स हो जाए कि इसने किया है तो गिरफ्तारी हो, इन्वेस्टीगेशन अभी इस बारे में ही चल रहा है। अगर मालूम हो कि कौन इन्वाल्वड है तो गिरफ्तारी हो गई होती। 324 की बात आपने कहीं। उसमें शूटिंग की बात है—

"Whoever causes hurt by means of any instrument, by shotting, stabbing or cutting".

इसलिए यह तो कवर्ड है।

मोटर की प्लेट बदले जाने के बारे में कहा गया कि दूसरी मोटर थी, उसका मैंने जिक्र किया। उसमें इस कार की प्लेट लगा दी, वह घूमती हुई दिखाई दी। लेकिन जिस कार के बारे में कहा गया उसके आनर ने कहा कि हमारी कार गैरेज में बन्द थी। उस बारे में इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। उस कार को भी नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि उसके बारे में भी इस्टैब्लिश नहीं हुआ है।

अखिरी सवाल का जवाब मैं क्या दूं, कांग्रेस का इतिहास माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा जानते हैं।

श्री श्याम लाल यादव : माननीय गृह मंत्री ने इस बात को बताने की कोशिश की है कि मुलजिम का पता नहीं था, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जो आरोप लगाए गए वह शुरू से ही व्यक्ति विशेष के विरुद्ध लगाए गए। कानून की परंपरा यह है कि जिसके विरुद्ध आरोप लगाए जाएं उसे पकड़ा जाए। क्या आपके सी० आर० पी० सी० में यह परंपरा है कि जो पैसे वाले हैं, उनको गिरफ्तार न किया जाए?

इसके साथ ही आप यह परंपरा और जगह भी लागू करने को तैयार हैं, जैसे कि वाराणसी में निरीह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ यात्री नेपाल से आये थे उनको पकड़ा गया, कोई दर्जी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, कोई नाई था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बिना वजह लोग मारे गए और गिरफ्तार किए गए। क्या आपने यह परंपरा लागू करने की कोशिश नहीं की ? दिल्ली में यह पहली घटना नहीं है, पीछे यूनिवर्सिटी में लड़की के साथ छेड़खानी हुई, उसका केस कायम हुआ, आपने उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जब तक वाइस-चान्सलर ने इस्तीफा देने की धमकी नहीं दी। वह व्यक्ति भी कांग्रेस प्रेसिडेंट की कार में घूमता था और युवक कांग्रेस का नेता था। मुझे मालूम है जो व्यक्ति कांग्रेस का हो उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। चूंकि वह व्यक्ति भी कांग्रेस का नेता है, जिसने नई दिल्ली नगर पालिका में एक पोस्टर लगा रखा है—अवर लीडर इज ग्रेट, अवर फ्यूचर इज ब्राइट। इस पोस्टर को लगाने वाला व्यक्ति नारंग है, उसको इसलिए गिरफ्तार नहीं किया चूंकि वह कांग्रेस का आदमी है और वह आपके गुणगान करता है।

श्री के० सी० पंत : माननीय सदस्य को गलतफहमी है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ इल्जाम नहीं लगाया है। उसने कहा कि उसमें तीन आदमी थे, दो का इतिहास मैं दे सकती हूं और तीसरे को मैंने नहीं देखा। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आरोप नहीं लगाया।

श्री महावीर त्यागी : डिमांस्ट्रेशन के लिए क्यों गई नारंग के घर ?

श्री के० सी० पंत : यह आप उनसे पूछ सकते हैं यह डिसीजन उनका था। मेरी सूचना यह है कि नारंग परिवार के किसी आदमी से वह डेस्क्रिप्शन नहीं मिलता, इसलिए गिरफ्तार किसको करें ?

वाराणसी की बात आपने कही, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में।

तीसरी बात आपने कही यूनिवर्सिटी के केस के बारे में कि उसमें गृह मंत्रालय ने कहा कि कांग्रेस का आदमी है. . . .

श्री सभापति : उसका इससे क्या ताल्लुक।

श्री श्याम लाल यादव : कांग्रेस के आदमियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती।

श्री के० सी० पन्त : गृह मंत्रालय के किसी आदमी ने कहा कि चूंकि वह कांग्रेस का आदमी है, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही न हो, यह बात गलत है।

1 P.M.

MR. CHAIRMAN : Mrs. Savita Behan. This is the last question. We have taken 45 minutes over this and I think we should stop now. Last question, please.

श्रीमती सविता बहिन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महोदय से आपके जरिए जानना चाहती हूं कि जैसे उन्होंने अभी कहा कि मिरान्डा कालेज के बाहर इस वक्त बावर्दी पुलिस के कांस्टेबिल तैनात किये गए हैं, तो क्या ऐसे ही बावर्दी या बिना वर्दी और जगहों पर जहां-जहां ऐसे गर्ल्स कालेजेज हैं, कार्नर्स हैं, स्थान हैं, वहां पर पुलिस वालों का इन्तजाम किया गया है ताकि दिल्ली में इस बढ़ती हुई गुण्डागर्दी को रोका जा सके। मैं यह मानती हूं कि हर जगह पर पुलिस तैनात नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कोई इस किस्म का प्रिकाशन लिया है, इन्तजाम किया है।

श्री के० सी० पंत : जी हां, बहुत जगह इन्तजाम है। खास कर लड़कियों के स्कूल्स और कालेजेज के पास जो बीट पैट्रोल होता है, उसको विशेष हिदायत दी गई है कि वह निगरानी रखे। सीनियर पुलिस आफिसर्स से कहा गया है कि जो प्रिंसिपल्स हैं कालेजज के उनसे वे लियाजा रखें ताकि जो भी प्रिवेंटिव एक्शन हो सके वह जल्दी से लिया जा सके। जितने मेजर सिनेमा हाल्स हैं वहां पुलिस वाले रहते हैं ताकि वहां इस तरह की वारदातें रोकी जा सकें। मेजर बस स्टाप्स पर पुलिस वाले रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो रनिंग बसेज हैं मेजर बस रूट्स पर उनमें कोशिश की जाती है कि उनमें पुलिस वाले प्लेन क्लोद्ज में या यूनिफार्म में भेजे जाएं।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

CREATION OF SPECIAL DRAWING RIGHTS FOR 1973

*558. SHRI KALI MUKHERJEE :
SHRIMATI PRATIBHA SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Whether Government are in favour of the creation of the special drawing rights for 1973 and its further continuance and if so, the efforts that have been made by Government in that direction; and

(b) the results of the Government's efforts in this regard so far ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir. Government has been vigorously emphasising in the Fund and the Group of Twenty-four the urgent need for continued allocation of S.D.Rs.

(b) The issue is still under consideration and it would be premature to say the amount of S.D.Rs that will be allocated in the future.

LENGTH OF RUNWAYS OF AIRPORTS

♦559. SHRI DAHYABHAI V. PATEL :
SHRI SUNDAR MANI PATEL :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the length of runways in Varanasi, Patna, Jaipur and Bhubaneswar airports; and

(b) whether Bhubaneswar runway is capable of taking a Boeing 737 aircraft and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): (a) The main runways at Varanasi, Patna, Jaipur and Bhubaneswar aerodromes are 588C, 6500', 5955' and 5850' long respectively.

(b) Bhubaneswar aerodrome is suitable for restricted and limited Boeing 737 operations. The present traffic does not justify Boeing 737 services to/through Bhubaneswar.

†ग्रामीण उद्योग आयोग

*364. **श्री ना० कृ० शेजवलकर :**
श्री दत्तोपन्त ठेंगडी :
श्री डी० के० पटेल :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री मान सिंह वर्मा :
डा० भाई महावीर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए "ग्रामीण उद्योग आयोग" की स्थापना करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो यह आयोग कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

† Transferred from the 8th March, 1973.